न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–34/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00244)

1. मैसर्स रेयर फार्मस प्रा.लि. जरिये कमल कुमार कोठारी, पुत्र श्री भंवरसिंह कोठारी, जाति जैन, निवासी प्लॉट नम्बर 101/5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर व जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 08.08.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रथम जयपुर के आदेश दिनांक 21.12.2016 (प्रकरण संख्या 36/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम जामडोली तहसील व जिला जपुर पूर्व साबिक खसरा नम्बर 119/1/1/2 (119मि.) रकबा 60 बीघा किस्म बंजड जो सोल्जर चन्द्रसिंह तत्कालीन जयपुर रियासत के फौज में सवाई मानसिंह गार्ड में नौकरी करते थे , जिन्हे तत्कालीन जागीरदार द्वारा पट्टा जारी किया गया था, उक्त भूमि का पट्टा दिनांक 16.12.1944 को जारी किया गया था, तथा जयपुर टीनेन्सी एक्ट के तहत उक्त भूमि पर स्व. चन्द्रसिंह का सम्वत् 2003 से 2015 तक कब्जा रहा जिसकी खसरा गिरदावरी में उक्त भूमि पर बाजरा, मौंठ की काश्त रही है, उक्त भूमि काबिल काश्त (बंजड़ किस्म) दर्ज थी, जिसके सम्बन्ध में द जयपुर गजट जो कि 01.06.1944 संख्या 5393 को जारी किया है, उसके तहत जयपुर टीनेन्सी एक्ट 1945 के तहत खातेदार सोल्जर चन्द्रसिंह की थी, उक्त भूमि खसरा नम्बर 119/1/1/2 ग्राम जामडोली तहसील व जिला जयपुर में स्थित थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के बाद भू–प्रबन्ध की कार्यवाही हुइ तब उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 217, 219, 220, एवं 222 बने जिस पर पट्टेदार चन्द्रसिंह व उसके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है, उक्त भूमि को दौराने सेटलमेन्ट चारागाह दर्ज कर दी गई तथा सेटलमेन्ट को पूर्व खातेदारी को समाप्त करने का कोई कानून अधिकार नही है, भू राजस्व अधिनियम की धारा 115 के अनुसार उक्त खातेदारी भूमि को चारागाह दर्ज करना गलत व अवैध है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.1955 को प्रभाव में आया तो पूर्व उक्त भूमि खातेदारी व काश्त योग्य थी जिसकी किस्म बंजड को चारागाह गलत दर्ज किया गया, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 115 (28) के तहत उक्त भूमि चारागाह की श्रेणी में न आकर काबिल काश्त थी।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पट्टेदार चन्द्रसिंह के वारिसान ने एक दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 4/1995 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1995 तत्कालीन सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर के यहॉ बच्चन सिंह बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य जिसमें ग्राम जामडोली के साबिक खसरा नम्बर 119/1/1/2 रकबा 60 बीघा के वर्तमान खसरा नम्बर 217 रकबा 24 बीघा, खसरा नम्बर 219 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 220 रकबा 9 बीधा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 221 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 222 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार घोषित कर विपक्षीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया, उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत उक्त भूमि खातेदारी व काबिले काश्त थी जिसका नये सेटलमेन्ट के तहत गलत रूप से दर्ज की जिसके निर्णय सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर की अनुपालना होकर उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सोल्जर चन्दसिंह के वारिसारन के हक में डिक्री होकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, उक्त भूमि खसरा नम्बर 217 रकबा 24 बीघा जो साबिक खसरा नम्बर 119/1/1/2 रकबा 60 बीघा का ही भाग, 60 बीघा में से 24 बीघा भूमि दौराने सेटलमेन्ट पूर्व बंजड में से चारागाह किस्म दर्ज कर दी गइ जो कि किस्म दुरूस्त किये जाने योग्य है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है वर्तमान मे उक्त भूमि प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय करके तकासमा करवा लिया, जिसमें तकासमें मे अन्य भूमि के साथ हाल खसरा नम्बर 217/615 रकबा 4 बीघा खसरा नम्बर 217/724 रकबा 1 बीघा किस्म चारागाह दर्ज है जबकि पूर्व में उक्त भूमि बंजड थी जिसके चारागाह से बंजड दर्ज किया जाना है तहसीलदार की रिकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की पुष्टि करती है जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस्म परिवर्तन क्षेत्राधिकार मे नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि इस प्रकार का मामला प्रार्थना पत्र संख्या 87/2017 उनवानी केशव विधापीठ बनाम राजस्थान सरकार में ग्राम जामडोली तहसील जयपुर के पुराने खसरा नम्बर 119/1/1/3 व जिसके नये खसरा नम्बर 132/1 को चारागाह किस्म से बंजड किस्म का आदेश दिनांक 05.12.2017 को पारित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा चुका है जिसकी जमाबन्दी न्यायालय में पेश की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.12.2016 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार जयपुर को ग्राम जामडोली जिला जयपुर के हाल खसरा नमबर 217 की रकबा 24 बीघा को पूर्व अनुसार बंजड दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि मुताबिक मिसल बन्दोस्त सम्वत् 2015–34 में आराजी चारागाह दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी चारागाह अंकित होने एवं चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तन का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2016 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।